# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1–तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या– डीजी-2 /2017 दिनांकः लखनऊः जनवरी 23, 2017

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश ।

अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित किमिनल अपील संख्या–1980/2016 मयंक सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैंः–

**"In the counter affidavit filed by learned A.G.A. with reference to the information received from police station Kachwa, District Mirzapur, it is stated that there is no criminal history of applicant no. 1-Mayank Singh.**
**We are of the opinion that such information is incomplete. Information must be obtained from the State Crime Record Bureau with regard to criminal history of the accused.**
**We direct the learned A.G.A. to obtain report from the State Crime Record Bureau about the criminal history of the accused and to file the same along with an affidavit by the next date. The matter shall be listed on 24.1.2017.**
**It is made clear that in future in counter affidavits to be filed to the bail application by the State, report regarding the criminal history of accused person must be obtained from the State Crime Record Bureau and disclosed to the Court."**

2– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में पूर्ण सूचना प्रस्तुत न होने के कारण भविष्य में जमानत प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्रों के साथ आरोपी के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से आख्या प्राप्त कर मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3– पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा अपने पत्र सं0एससीआरबी–आपराधिक इतिहास/2016 दिनांक 18/1/2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ब्यूरो में आपराधिक इतिहास का संकलन नहीं किया जाता है। अतः भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी रिट याचिका में, चाहे वह किमिनल अपील हो या जमानत सम्बन्धी रिट

याचिका हो या अन्य किसी भी प्रकार की रिट याचिका हो, जिसमें आपराधिक इतिहास की आवश्यकता हो, तो उसमें Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS) के माध्यम से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास क्वेरी (Query) के माध्यम से प्राप्त कर उसका प्रमाणित प्रिंटआउट संलग्न किया जाए। सीसीटीएनएस से आपराधिक इतिहास प्राप्त करने की प्रकिया अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0: टीएसएफ–07/2017 दिनांक 23/1/2017 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से आपको प्रेषित की जा चुकी है। कृपया आप उस पत्र में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार आपराधिक इतिहास प्राप्त करें। किसी कठिनाई की दशा में तकनीकी सेवा मुख्यालय से सम्पर्क कर उसका निराकरण कराएं। आप अवगत है कि सीसीटीएनएस में उपलब्ध आपराधिक इतिहास वर्ष 2003 के पश्चात का है। उससे पूर्व का आपराधिक इतिहास जनपद स्थित डीसीआरबी तथा अन्य जनपदों से पूर्वानुसार प्राप्त किया जाए।

3– आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भविष्य में दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में आपराधिक इतिहास उपरोक्त प्रकिया के अनुसार ही प्राप्त किया जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

23.1.17

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि –

1. पुलिस महानिरीक्षक(अपराध)उ0प्र0 लखनऊ को अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित ।
2. पुलिस अधीक्षक,राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो,उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित ।